

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii).

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 2, 1973/श्रावण 11, 1995
No. 275] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 1973/SRAVANA 11, 1995

इस भाग में गिनत पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd August 1973

S.O. 419(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Manipur for a period of six months with effect from 6 August 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1973

सं० नि० 419(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 6-8-73 से 5-2-74 मनीपुर तक छह मास के लिए से मेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 9/23/69-बीएस०-II(जी एण्ड क्यू)]

(1247)

S.O. 420(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Maharashtra for a period of six months with effect from 9 August 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II (G&Q)]

सां नि० 420 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 9-8-73 से 8-2-74 महाराष्ट्र तक छह मास के लिये सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 9/28/69-बी एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 421(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Madhya Pradesh for a period of six months with effect from 12 August 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सां नि० 421(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 12-8-73 से 11-2-74 मध्यप्रदेश तक छह मास के लिए सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 9/28/69-बीएस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 422(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Mysore for a period of six months with effect from 16 August 1973 as active duty.

[F. No. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सां नि० 422(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 16-8-73 से 15-2-74 मैसूर तक छह मास के लिये सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० फा० 9/28/69-बी एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 423(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Andhra Pradesh for a period of six months with effect from 22 August 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सां नि० 423(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-8-73 से 21-2-74 आन्ध्रप्रदेश तक छह मास के लिए सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[फा० सं० 9/28/69-बी०एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 424(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Uttar Pradesh for a period of six months with effect from 27 August 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

सा० नि० 424 (अ). —पूरुबो दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसार में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी जो 27-8-73 से 26-2-74 उत्तर प्रदेश तक छह मास के लिये सेवारत होगा वह मत्रिय इयूटी होगी ।

[सं० का० 9/28/69-बीएस०-II (जी एण्ड क्यू)]

सी० जी० सोमिया, संयुक्त मन्त्रि ।

